FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान ......सुखदेव वगै.......... बनाम ......भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला......

किस्म मुकदमा ......प्रार्थना पत्र विनिमय........ मुकदमा नं. ......67...... सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
27/09/18	वकील प्रार्थीगण श्री रामसिंह शेखावत ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पत्र विनिमय पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 12/10/18 को पेश हो।	1111 8-10-18
12/10/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 16-10-2018 को पेश हो।	सुवालाल सुखदेव [signatures]
16/10/18	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण पार्टी नं. 1 एवं पार्टी नं. 2 आपसी रजामन्दी से अपनी भूमि की अदला-बदली करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	कर आ रहे है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-	

निर्णय

तन ग्राम बस्सी प० ह० अभरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 35, 36, 37 रकबा 7.5300 है० में प्रार्थी, पार्टी नं० 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 अर्थात रकबा 1.25 है० से प्रार्थी, पार्टी नं० 1 का नाम हजफ किया जाकर उक्त 1.25 है० की खातेदारी प्रार्थी, पार्टी नं० 2 के नाम दर्ज की जावे। ख० नं० 381 ता 387, 389, 390 रकबा 8.2400 है० में प्रार्थी, पार्टी नं० 2 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 अर्थात रकबा 2.06 है० में से 1.25 है० का प्रार्थी, पार्टी नं० 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा उक्त 1.25 है० हिस्सा से प्रार्थी, पार्टी नं० 2 का नाम हजफ किया जाता है तथा शेष 0.81 है० हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी, पार्टी नं० 2 के नाम बदस्तूर रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/1/17

भागीरथ शाख
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner